न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/02/2017	23—01—2017	12—12—2019

1— सम्पत पुत्र फुलचंद जाति चमार, निवासी ग्राम थोसड़ी तहसील रैणी, जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1— तहसीलदार रैणी जिला अलवर राज0

—रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रैणी इंतकाल संख्या 28 दिनांक 29.11.1975

उपस्थितः—

01. श्री सुरेश चंद शर्मा —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 29.11.1975 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 28 वाके ग्राम खुर्द तहसील रैणी जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निवेदन किया कि अपीलांट के आवेदन पत्र दि0 15.09.1975 आराजी खसरा नम्बर 244/44 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम खुर्द तहसील रैणी दि0 15.09.1975 की गयी। जिसके हाल खसरा नम्बर 103 रकबा 44 ऐयर, 61/328 रकबा 31 ऐयर, 66/330 रकबा 12 ऐयर कायम किये गये है। जिस पर अपीलांट आवंटन के दिन से काबिज चला आ रहा है। उक्त अपीलाधीन इंतकाल में खसरा नम्बर 244/24 रकबा 05 बीघा दर्ज किया गया है जबकि खसरा नम्बर 244/44 रकबा 05 बीघा दर्ज किया जाना चाहिए था। अपीलांट कम पढ़ा—लिखा है। अपीलांट यह समझा था कि इंतकाल में आराजी का इन्द्राज सही किया गया होगा। मगर दि. 01.01.2017 को अपीलांट को पटवारी के द्वारा जानकारी हुई कि इंतकाल में खसरा नम्बर 244/24 रकबा 05 बीघा दर्ज है। जानकारी होने पर इंतकाल की नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है। फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल सं. 28 दि0 29.11.1975 में खसरा नम्बर 244/24 रकबा 05 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 244/44 रकबा 05 बीघा दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को खसरा नम्बर 244/44 रकबा 05 बीघा का आवंटन उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा किया गया था। जबकि इंतकाल आराजी खसरा नम्बर 244/24 रकबा 05 बीघा का दर्ज व स्वीकार किया गया। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रैणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को किये गये आवंटन आदेश दि0 15.09.1975 का पूर्ण अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थं भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12—12—2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)